न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 85/2023

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मोहित पुत्र श्री चिमनलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. चिमनलाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. विरमा देवी पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सरोज पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. सरोज पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. अनिता पुत्री श्री चिमनलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. सरस्वती पत्नी स्व. श्री पतराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. अमीचन्द पुत्र स्व. श्री पतराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. सीताराम पुत्र स्व. श्री पतराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. दिनेश पुत्र श्री सीताराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. पवन कुमार पुत्र श्री अमीचन्द जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. कौशल्या पुत्री स्व. श्री पतराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. गुड्डी देवी पुत्री स्व. श्री पतराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. अशोक कुमार पुत्र श्री सीताराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)

लगातार ––2

15. एकता कुमारी पुत्री श्री अमीचन्द जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)

16. रेखा रानी पुत्री श्री अमीचन्द जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)

17. नरेन्द्र पुत्र स्व. श्रीमती गिरदावरी पत्नी श्री दौलतराम जाति जाट निवासी 5 डी. डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)

18. करिश्मा पुत्री स्व. श्रीमती गिरदावरी पत्नी श्री दौलतराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)

19. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

20. तहसीलदार(राजस्व) रावतसर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी मोहित ने प्रतिवादीगण ओमप्रकाश वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 13/10 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.700 है. कृषि भूमि, वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1.307 है. कृषि भूमि, वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के नाम से इसी चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 12/45 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.388 है. कृषि भूमि, वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1, वादी के पिता प्रतिवादी सं. 2 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के नाम से चक 5 ए.एम.पी. के खाता सं. 12/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1. 890 है. कृषि भूमि, वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के नाम से चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.228 है. कृषि भूमि, वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1, वादी के पिता प्रतिवादी सं. 2 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के नाम से चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 51/16 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 2.024 है. कृषि भूमि तथा इसके अलावा वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 7,8,9,12,13,

लगातार ––3

17,18 के नाम से तहसील रावतसर के चक 6 डी.डब्ल्यु.एम. के खाता सं. 22/22 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 1.518 है. कृषि भूमि तथा वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के स्व. दादा के भाई स्व. पतराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 7,8,9,12,13,17,18 के नाम से तहसील रावतसर के चक 5 डी.डब्ल्यु.एम. के खाता सं. 21/19 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 3.340 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 18 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 18 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 18 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 3 ता 6, 12 ता 18 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 7 ता 11 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। इसलिये प्रतिवादी सं. 3 ता 6 ,12 ता 18 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 7 ता 11 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैंः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(क) **वादी मोहित पुत्र श्री चिमनलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

तहसील संगरिया के चक 5 ए.एम.पी. के खाता सं. 12/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1.056 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 51/16 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.139 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 13/10 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.350 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.654 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 12/45 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.388 है. कृषि भूमि

लगातार ––4

तहसील संगरिया के चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.114 है. कृषि भूमि

(ग) **प्रतिवादी सं. 2 चिमनलाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

तहसील संगरिया के चक 5 ए.एम.पी. के खाता सं. 12/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.834 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 51/16 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.885 है. कृषि भूमि

(घ) **प्रतिवादी सं. 7 ता 11 क्रमशः सरस्वती पत्नी स्व. श्री पतराम, अमीचन्द पुत्र स्व. श्री पतराम, सीताराम पुत्र स्व. श्री पतराम, दिनेश पुत्र श्री सीताराम, पवन कुमार पुत्र श्री अमीचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि. ब. कृषि भूमि :–**

तहसील रावतसर के चक 6 डी.डब्ल्यु.एम. के खाता सं. 22/22 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 1.518 है. कृषि भूमि

तहसील रावतसर के चक 5 डी.डब्ल्यु.एम. के खाता सं. 21/19 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 3.340 है. कृषि भूमि

(ड़) **प्रतिवादी सं. 8 व 9 क्रमशः अमीचन्द पुत्र स्व. श्री पतराम, सीताराम पुत्र स्व. श्री पतराम समस्त जाति जाट निवासीगण 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–**

तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 13/10 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.350 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.653 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.114 है. कृषि भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4

लगातार ––5

के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 18 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 18 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 19 व 20 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी. डब्ल्यु. के खाता सं. 13/10 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75, तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 12/45 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, चक 5 ए. एम.पी. के खाता सं. 12/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, चक 5 एन.टी. डब्ल्यु. के खाता सं. 16/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 51/16 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 तहसील रावतसर के चक 6 डी.डब्ल्यु.एम. के खाता सं. 22/22 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 एवं चक 5 डी.डब्ल्यु.एम. के खाता सं. 21/19 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 8 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 18 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 18 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 13/10 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.700 है. कृषि भूमि, वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.307 है. कृषि भूमि, वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के नाम से इसी चक 6 एन.टी.डब्ल्यु.

लगातार --6

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के खाता सं. 12/45 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.388 है. कृषि भूमि, वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1, वादी के पिता प्रतिवादी सं. 2 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के नाम से चक 5 ए.एम.पी. के खाता सं. 12/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.890 है. कृषि भूमि, वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के नाम से चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.228 है. कृषि भूमि, वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1, वादी के पिता प्रतिवादी सं. 2 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के नाम से चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 51/16 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.024 है. कृषि भूमि तथा इसके अलावा वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के दादा के भाई स्व. पतराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 7,8,9,12,13,17,18 के नाम से तहसील रावतसर के चक 6 डी.डब्ल्यु.एम. के खाता सं. 22/22 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में 1.518 है. कृषि भूमि तथा वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के स्व. दादा के भाई स्व. पतराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 7,8,9,12,13,17,18 के नाम से तहसील रावतसर के चक 5 डी.डब्ल्यु.एम. के खाता सं. 21/19 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में 3.340 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 18 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 18 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1ता 18 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक पतराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एन. टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 13/10 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.700 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 8 व 9 को 0.350 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक पतराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1. 307 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 8 व 9 को 0.653 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक पतराम के नाम से इसी चक

लगातार --7

6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 12/45 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.388 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 2 एवं मृतक पतराम के नाम से चक 5 ए.एम.पी. के खाता सं. 12/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1.890 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.056 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक पतराम के नाम से चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.228 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 8 व 9 को 0.114 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 2 एवं मृतक पतराम के नाम से चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 51/16 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 2.024 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.139 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1,7,8,9,12,13,17,18 के नाम से तहसील रावतसर के चक 6 डी.डब्ल्यु.एम. के खाता सं. 22/22 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 1.518 है. कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 7 ता 11 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 12, 13, 17 व 18 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1,7,8,9,12,13,17,18 के नाम से तहसील रावतसर के चक 5 डी.डब्ल्यु.एम. के खाता सं. 21/19 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 3.340 है. कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 7 ता 11 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 12, 13, 17 व 18 का नाम कलमजन किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 85/2023

मोहित पुत्र श्री चिमनलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

21. ओमप्रकाश पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
22. चिमनलाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
23. विरमा देवी पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
24. सरोज पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
25. सरोज पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
26. अनिता पुत्री श्री चिमनलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
27. सरस्वती पत्नी स्व. श्री पतराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
28. अमीचन्द पुत्र स्व. श्री पतराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
29. सीताराम पुत्र स्व. श्री पतराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
30. दिनेश पुत्र श्री सीताराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
31. पवन कुमार पुत्र श्री अमीचन्द जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
32. कौशल्या पुत्री स्व. श्री पतराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)
33. गुड्डी देवी पुत्री स्व. श्री पतराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)

लगातार --2

34. अशोक कुमार पुत्र श्री सीताराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)

35. एकता कुमारी पुत्री श्री अमीचन्द जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)

36. रेखा रानी पुत्री श्री अमीचन्द जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)

37. नरेन्द्र पुत्र स्व. श्रीमती गिरदावरी पत्नी श्री दौलतराम जाति जाट निवासी 5 डी. डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)

38. करिश्मा पुत्री स्व. श्रीमती गिरदावरी पत्नी श्री दौलतराम जाति जाट निवासी 5 डी.डब्ल्यु.एम. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज.)

39. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

40. तहसीलदार(राजस्व) रावतसर।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– ....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीया मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 20 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक पतराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 13/10 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.700 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 8 व 9 को 0.350 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक पतराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.307 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 8 व 9 को 0.653 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक पतराम के नाम से इसी चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 12/45 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.388 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 2 एवं मृतक पतराम के नाम से चक 5 ए.एम. पी. के खाता सं. 12/11 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.890 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.056 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक पतराम के नाम से चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 16/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.228 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 8 व9 को 0.114 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार

लगातार --3

घोषित कर मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 2 एवं मृतक पतराम के नाम से चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 51/16 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 2.024 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.139 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक पतराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1,7,8,9,12,13,17,18 के नाम से तहसील रावतसर के चक 6 डी.डब्ल्यु. एम. के खाता सं. 22/22 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 1.518 है. कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 7 ता 11 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 12, 13, 17 व 18 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1,7,8,9,12,13,17,18 के नाम से तहसील रावतसर के चक 5 डी.डब्ल्यु.एम. के खाता सं. 21/19 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 3.340 है. कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 7 ता 11 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 12, 13, 17 व 18 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....×..... निल ....×.... मुब्लिक ....×.........निल ....×...... बाबत् ..×...... ....निल......×........ खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......×.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक** 22/03/2023 को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official